



इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 11.07.2024

इटावा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 55/24 धारा 74,333 बीएनएस व धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में थाना बसरेहर पुलिस द्वारा गयी कार्यवाही ।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 09.07.24 को थाना बसरेहर क्षेत्रान्तर्गत निवासी वादिनी की तहरीर के आधार पर रामचन्द्र प्रजापति पुत्र भारत सिंह प्रजापति द्वारा उसकी नाबालिग पुत्री के साथ अश्लील हरकत करने के संबंध में थाना बसरेहर पर मु0अ0सं0 55/24 धारा 74,333 बीएनएस व धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में कार्यवाही करते हुये आज दिनांक 11.07.24 को थाना बसरेहर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 55/24 से संबंधित अभियुक्त रामचन्द्र प्रजापति पुत्र भारत सिंह प्रजापति को रिटौली चौराहे के पास से समय 10.05 बजे गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. रामचन्द्र प्रजापति पुत्र भारत सिंह प्रजापति निवासी ग्राम रिटौली थाना बसरेहर जनपद इटावा उम्र करीब 55 वर्ष ।

पंजीकृत अभियोग:-

1. मु0अ0सं0 55/24 धारा 74,333 बीएनएस व धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट थाना बसरेहर जनपद इटावा ।

पुलिस टीम –थानाध्यक्ष श्री समित चौधरी थाना बसरेहर, उ0नि0 राजेन्द्र सिंह, हे0का0 संदीप कुमार, का0 अवनीश मय टीम ।